बालिका शिक्षा

डॉ. संतोष कुमार सिंह

असि0 प्रोफेसर

कॉलेज ऑफ एजूकेशन, बिलासपुर,

ग्रेटर नोएडा

बालिका शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि 'ज्ञान अच्छा है, बौद्धिक सम्पन्नता भी अच्छी है और विवेक और भी अधिक मूल्यवान् गुण है, पर यदि वे जीवन की रचना को पूर्ण नहीं बनाते, उसमें संघित नहीं हो जाते और किसी स्त्री को इस योग्य नहीं बनाते कि उसका जीवन कलाकृति बन जाए तो उनका कोई महत्व नहीं है।'[1] किसी बालिका की शिक्षा की बहुत अधिक सार्थकता इसमें है कि वह अपने ज्ञान का, बौद्धिक समानता का, विवेक का विनियोग पारिवारिक जीवन को सुन्दर बनाने में करे। निःसन्देह नारी की देश, समाज एवं पारिवारिक उत्तदायित्वों के निर्वहन में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं। जिस प्रकार अनेक महापुरुषों ने मानव–कल्याण के लिए अपना घर और परिवार छोड़कर अपना जीवन किसी महान् साधना को समर्पित कर दिया, वैसा अवसर स्त्रियों को भी मिलना चाहिए। पत्नी और माँ के रूप में नारी को उच्चकोटि के गुणों और कुशलताओं का प्रयोग करने का अवसर मिलता है, पर यदि कोई स्त्री सोचती है कि वह एकाकी रहकर अपने जीवन के उद्देश्य अधिक अच्छी तरह पूरे कर सकती है, अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकती है तो उसके उसके लिए पूरा अवसर मिलना चाहिए, पर उसके लिए शिक्षा तब और भी महत्वपूर्ण हो जायेगी।[2]

राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास, उसके संरक्षण एवं संवर्द्धन में बालिका–शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनतंत्र की सुरक्षा के लिए उनका शिक्षित होना नितान्त आवश्यक है। आगे चलकर वे मताधिकार का स्वतंत्रतापूर्ण और स्वविवेकानुसार प्रयोग कर सकें, यह उनकी शिक्षा पर ही निर्भर करता है। डॉ. राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में गठित आयोग ने बालिका–शिक्षा के महत्व और आवश्यकता पर पर्याप्त बल दिया है। उनके अनुसार ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्राप्त हो ताकि वे अच्छी माता और अच्छी गृहणी बन सके। बालिका विकास का सर्वाधिक सरल, प्रभावी व सहज तरीका उनकी शिक्षा में सुधार लाना है। वस्तुतः किसी भी राष्ट्र की उत्कर्षता के शिखर पर ले जाने की एक आवश्यक शर्त उसकी बालिकाओं का शिक्षित होना है। शिक्षित बालिकाएँ अपने अधिकारों को जान व समझ कर उनका लाभ उठा सकती हैं एवं अपने विविध कर्तव्यों का सम्यक् ढंग से निर्वहन कर सकती हैं। शिक्षा के अभाव में वे प्रायः अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहती हैं एवं यदि उन्हें इसकी जानकारी मिल भी जाती है तो सरकारी मशीनरी के असहयोग तथा समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण उनका व्यावहारिक रूप से उपभोग नहीं कर पाती हैं। बालिका विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष (1975), सार्क बालिका वर्ष (1990) तथा सार्क बालिका दशक

(1991–2000) जैसे आयोजन किये गये हैं, जो उनके विकास के प्रति विश्व व्यापी जागृति के सूचक हैं।

महात्मा गांधी शिक्षा को बालिकाओं के जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा आत्मोन्नति का आधार है। शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य को सच्चे अर्थ में मनुष्य बनाना है।[3]महात्मा गांधी एक परम्परावादी देश में बालिकाओं को सामाजिक जीवन में लाना चाहते थे और इसके लिए वे शिक्षा को आवश्यक मानते थे।[4] शिक्षा बालिका विकास के सभी आयामों, यथा – पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक मजबूती का आधार है, जिसके द्वारा उन्हें क्रियाशील, विवेकशील तथा प्रभावशील बनाना सम्भव हो सकता है। उनके विकास में उच्च शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान करती है।[5]

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के ये ऐतिहासिक शब्द ध्यान देने योग्य हैं कि "शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता। यदि पुरुषों और स्त्रियों में से केवल किसी एक के लिए सामान्य शिक्षा का प्रावधान करना हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए क्योंकि तब वह शिक्षा स्वयमेव अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जाएगी।"[6] सन् 1963 में वनस्थली विद्यापीठ में भाषण देते हुए श्री नेहरू ने भी इसी तथ्य को दुहराया था कि लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है परन्तु एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है।

नये समाज की रचना के लिए हम कृत–संकल्प हैं, पुराने अंधविश्वासों, रीति–रिवाजों, कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील हैं। समाज में व्याप्त छुआछूत, ऊँच–नीच के भेद, धनी–निर्धन के भेद, धार्मिक भेदभाव, जातिगत (या वर्गगत) संकीर्णताओं आदि को मिटाना चाहते हैं। जनतंत्र की सुरक्षा के लिए बालिकाओं का शिक्षित होना नितान्त आवश्यक है। वे मताधिकार का स्वतंत्रतापूर्ण और स्वविवेकानुसार प्रयोग कर सकें, यह उनकी शिक्षा पर ही निर्भर करता है। वे समाज और देश के प्रति अपने कर्त्तव्य को समझ सकें, इसके लिए उनका शिक्षित होना और भी आवश्यक है, अपरिहार्य है। आज भौतिकतावादी युग में मनुष्य की आवश्यकताओं ने अपना वृहद् स्वरूप धारण किया है। अब ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि नारी के आर्थिक सहयोग के बिना देश, समाज एवं परिवार का विकास संभव नहीं है। आज के महंगाई और व्यस्तता के इस युग में बालिका–शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि स्त्रियाँ अब आर्थिक सहयोग की भी परिवार एवं समाज द्वारा उनसे अपेक्षा की जा रही है।

शिक्षा के बारे में यह नवीन चेतना विकसित हुई कि प्रभावी रूप से कौन इसे प्राप्त करे और विकास प्रक्रिया में अपना योगदान दें। क्योंकि यह व्यक्ति की आय में वृद्धि करती है, स्वास्थ्य में सुधार लाती है और उत्पादकता में वृद्धि करती है। एक और चेतना यह कि अगर महिलायें लाभार्थी हो तो इसके ज्यादा फायदे नजर आयेंगे। बालिका शिक्षा क्यों जरूरी हे, इसके कुछ मुख्य कारक निम्नलिखित हैं –

(1) **अच्छा स्वास्थ्य** – एक शिक्षित माँ स्वास्थ्य परिवार का निर्माण करती है। वह न केवल पौष्टिक आहारों के बारे में जानती है बल्कि सेहत सम्बन्धी आपात काल में कैसे व्यवहार किया जाता है, से भी परिचित होती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार एक माँ की शिक्षा अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं अपितु फ्लैश शौचालय, शुद्ध पानी और उचित पोषण के बजाय। क्योंकि जागरूक माँ ही शिशु मृत्युदर में कमी ला सकती है।

(2) **छोटा परिवार** –बालिकाओं का शिक्षित होना इसलिए आवश्यक है कि शिक्षित महिलाओं में कम बच्चों की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि में कमी

आती है। जनसंख्या नियंत्रण परिषद की 1993 की रिपोर्ट के अनुसार, औसत आकार का परिवार और कम शिशु मृत्यु दर श्रीलंका और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में इसीलिए नियंत्रित है क्योंकि वहाँ पर महिलाओं में उच्च स्तर की शिक्षा विद्यमान है जिसके कारण वे स्वास्थ्य कार्यक्रमों और परिवार नियोजन की नीतियों का कठोरता से पालन करती हैं जबकि उसके विपरीत यूथोपिया और मालवी जैसे देशों में महिलाओं में शिक्षा का स्तर बहुत कम होने से वहाँ पर परिवार नियोजन और स्वास्थ्य कार्यक्रम बहुत पीछे है या निम्न स्तर पर है। ब्राजील में अशिक्षित महिलायें औसतन 6.5 प्रतिशत बच्चों को जन्म देती है लेकिन जो केवल हाईस्कूल तक की शिक्षा प्राप्त हैं, वे औसत 2.5 प्रतिशत बच्चों को जन्म देती है। भारत में भी शिक्षित वर्ग की महिलाओं की प्रजननता दर जहाँ 1.8 प्रतिशत बच्चे औसतन है, वही अशिक्षितों में यही प्रजननता 3.8 प्रतिशत बच्चे औसतन हैं।

(3) **उच्च उत्पादकता** –बालिकाओं के लिए शिक्षा आवश्यक है क्योंकि शिक्षित महिलायें अपने घर और कार्यस्थल दोनों पर ज्यादा क्षमता से कार्य करती हैं। 200 देशों पर विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में वहाँ जो राष्ट्र महिलाओं की प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर ध्यान देते हैं, वहाँ की आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, बांग्ला देश में 90 श्रमशील महिलायें कपड़ा उद्योग में लगी हैं, उन्होंने पर्याप्त प्रशिक्षण के बाद आज इस उद्योग की उत्पादकता और गुणवत्ता में आश्चर्यजनक सुधार लाया है। पारिवारिक स्तर पर भी उच्च और अच्छी शिक्षा के द्वारा एक महिला अच्छा रोजगार पा सकती है जिसके फलस्वरूप परिवार की पारिवारिक आय में वृद्धि होगी।

(4) **प्रस्थिति में उन्नति** –बालिकाओं के लिए शिक्षा इसलिए भी आवश्यक है कि ऐसा माना जाता है कि शिक्षित महिलायें तेजी से और ज्यादा स्वतंत्र रूप में निर्णय लेने और अपने पैरों पर खड़े होने का चयन कुशलतापूर्वक ले सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या नियंत्रण कोष की रिपोर्ट के अनुसार केरल (भारत) में शिक्षित परन्तु गरीब महिलायें यह विश्वास करती हैं कि उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार है, लेकिन भारत में ही उत्तर प्रदेश और बिहार में, अशिक्षित महिलायें बिना अपने पति या सास–ससुर की इजाजत के अपने बीमार बच्चे को लेकर अस्पताल भी नहीं जाती हैं।

(5) **सामाजिक प्रभाव** –बालिकाओं की शिक्षा इसलिए आवश्यक है कि वे जब शिक्षित होती हैं तो वे अपने बच्चों को भी शिक्षा के लिए प्रेरित करती हैं जिससे वे समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनते हैं।

महिला शिक्षा हेतु क्रियात्मक दिशा–निर्देश

1. शिक्षा तक बालिकाओं और महिलाओं की पहुंच निश्चित करना और उनके लिए शिक्षा में गुणात्मक और प्रासंगिक सुधार करना।
2. स्कूलों के पाठ्यक्रम में से लिंग आधारित गलत अवधारणाओं को हटाया जायें।
3. लिंग भेद को समाप्त करने हेतु कुछ विशिष्ट लक्ष्य और समय ढांचा निर्धारित किया जाये।
4. बालिकाओं के घर के समीप ही स्कूलों और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की जाए।
5. ज्यादा महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए।

6. बालिका शिक्षा में सहभागिता और सहायता हेतु अभिभावकों को जागरूक किया जायें।

7. ज्यादा से ज्यादा विवाहित जवान लड़कियों और किशोरावस्था में माँ बनी लड़कियों का स्कूलों में नामांकन कराया जाये।

8. विवाह की एक निश्चित वैधानिक आयु पर कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

9- कुछ नवीन कार्यक्रमों के साथ बालिकाओं की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए, उनके लिए अलग विद्यालयों की बृहद् स्तर पर स्थापना की जाए।

अन्ततः, वर्तमान में शिक्षा के प्रति बालिकाओं का रूझान बढ़ा है। सरकारी योजनाओं ने भी बालिका–शिक्षा के विकास को गति प्रदान की है। मुख्य आवश्यकता स्त्री शिक्षा के लिए पृथक् संस्थानों एवं महिला शिक्षकों का औसत पुरुष शिक्षकों के समान करने की है।

Copyright © 2016 *Dr. Santosh Kumar Singh*. This is an open access refereed article distributed under the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

सन्दर्भ :

1 के.जी. सैयदेनः दि फैथ ऑफ एन एजूकेशनिस्ट, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे, 1965, पृ. 122.

2 रवीन्द्र अग्निहोत्रीः आधुनिक भारतीय शिक्षाः समस्याएँ और समाधान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ. 236–237.

3 सिंह, अमर ज्योति (1995): महात्मा गांधी और भारत, वाराणसी, पृ.314–317.

4 यंग इण्डिया, 26 फरवरी, 1918; 14 जनवरी, 1932 एवं 24 फरवरी, 1940.

5 गुप्ता, एस.पी. एवं अलका गुप्ता (2009): भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृ. 710–711.

6 रिपोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमिशन, 1948.